संख्या -35/ 2024/ 2069/ सत्रह-म-2024-17-1002(099)/13/2019

प्रेषक,

हरीश कुमार
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊः दिनांक 27 नवम्बर, 2024

विषयः प्रतिस्थापन के आधार पर विभागीय कार्यों के सम्पादन हेतु वाहनों के क्रय के सम्बंध में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-245/सा0शा0 /वाहन क्रय प्रस्ताव /2024-25 दिनांक 24.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक, 4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय- 001- निदेशन तथा प्रशासन- 03- मत्स्य निदेशालय, 14- मोटर गाडियों के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक, 4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय- 001- निदेशन तथा प्रशासन- 03- मत्स्य निदेशालय, 14- मोटर गाडियों के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख के सापेक्ष 01 टोयेटा इनोवा क्रिस्टा जी 7 सीटर वाहन जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु धनराशि रू0 19,15,500.00 लाख (रूपये उन्नीस लाख पन्द्रह हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. क्रय किये जाने वाले वाहनों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेशों में निर्धारित सीमा व्यवस्था तथा परिवहन विभाग द्वारा क्रय हेतु निर्गत संगत शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।
2. प्रश्नगत वाहन हेतु अनुमन्य धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।
3. महानिदेशक मत्स्य द्वारा मितव्ययिता के दृष्टिगत वाहन की नितान्त आवश्यकता / अपरिहार्यता होने पर ही वाहन क्रय किया जायेगा।

4. प्रश्नगत वाहन की गुणवत्ता विशिष्टियों एवं वरीयता को सुनिश्चित करने का समस्त दायित्व महानिदेशक मत्स्य का होगा।
5. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।,
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-04.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बंध में होने वाला व्यय 19,15,500.00 लाख (रूपये उन्नीस लाख पन्द्रह हजार पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय- 001-निदेशन तथा प्रशासन-03- मत्स्य निदेशालय- 14- मोटर गाडियों के क्रम मद के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-1-220-X-2024-25-दिनांक:26-11-2024 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by Harish Kum
Ashok
Date: 27-11-2024 14:

(हरीश कुमार)
अपर सचिव।

संख्या: 35 / 2024/ 2069/ सत्रह-म-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 लखनऊ/ प्रयागराज।
3. सम्बंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।

5. सम्बंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0।
7. वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।